

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-169/2023-24

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
09/09/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) चारु देवी पति-दण्डीराम महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-घाघरी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-घाघरी के थाना नं0-163, खाता नं0-48, प्लॉट नं0-1305, रकवा-2.50 डी0, प्लॉट नं0-1306, रकवा-5.00 डी0, कुल रकवा-7.50 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 619/भू0सु0, दिनांक 09.10.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के पत्रांक 1588 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- - बिक्री की जाने वाली भूमि रैयति खाते की है, जिसका सर्वे खतियान बुटन महतो दिगर के नाम से दर्ज है। (क) विक्रेता ग्राम-घाघरी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। (ख) क्रेता ग्राम-घाघरी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। - विक्रेता एवं क्रेता जाति के कुर्मी हैं, जो अन्य पिछड़ा जाति के श्रेणी में आते हैं। - भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। - बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान से प्राप्त है। - बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी 388 में कायम है। लगान रसीद 2016-17 तक निर्गत है। - विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है। - बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है। - बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म गोड़ा II है। - अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी द्वारा मौजा-घाघरी के थाना नं0-163, खाता नं0-48, प्लॉट नं0-1305, रकवा-2.50 डी0, प्लॉट नं0-1306, रकवा-5.00 डी0, कुल रकवा-7.50 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2016/262574 दिनांक- 29.06.2016 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2021/179848 दिनांक 10.04.2021, JHLRCO/2021/178721 दिनांक 09.04.2021, JHLRCO/2021/179836 दिनांक 10.04.2021, JHLRCO/2021/179855 दिनांक 10.04.2021, JHLRCO/2017/1752328 दिनांक 29.01.2018, JHLRCO/2022/689414 दिनांक 25.01.2023 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत (विक्रेता) चारु देवी पति-दण्डीराम महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-घाघरी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के द्वारा चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत मौजा-घाघरी के थाना नं०-163, खाता नं०-48, प्लॉट नं०-1305, रकबा-2.50 डी०, प्लॉट नं०-1306, रकबा-5.00 डी०, कुल रकबा-7.50 डी० भूमि (क्रेता) 1. बभ्रु महतो, 2. परमेश्वर महतो, 3. विन्देश्वर महतो, 4. गोपाल महतो, 5. नेपाल चन्द्र महतो, पौचों पिता-निवारण महतो, 6. रामचन्द्र महतो पिता-स्व० किर्तन महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-घाघरी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो झारखण्ड को विक्री करने की ~~अनुमति~~ दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

C.C. 288uep
24/9/24